न<u>्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 818/2009 संस्थापित दिनांक 05.11.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— मौ, जिला भिण्ड म०प्र0.

<u>..... अभियोजन</u>

बनाम

- बंटा उर्फ बन्टू पुत्र कंचन सिह यादव उम्र–25साल व्यवसाय खेती
- सौरव सिंह पुत्र सुरेश सिंह यादव उम्र–19साल लगभग व्यवसाय खेती समस्त निवासीगण लुहारपुरा मौ जिला भिण्ड म.प्र.

<u>.... अभियुक्तगण</u>

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 30/10/14 को घोषित किया)

- 1. आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,327,336 तथा 506 बी—2 के अपराध के आरोप हैकि दिनांक 19/06/09 के 22.00 बजे बेहट रोड मौ पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी दीपक सिंह को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व फरियादी के पेट्रोल पम्प से 680/—रूपये मूल्य का डीजल लेकर उस डीजल का मूल्य फरियादी को न देकर फरियादी को स्वेच्छा उपहित कारित की व माउजर कटटे से हवाई फायर कर मानवजीवन संकटापंन कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि विचारण के दौरान फिरयादी व आरोपीगण का आपस मे राजीनामा किया जा चुका है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 19/06/09 के 08:15बजे फरियादी दीपक सिंह पुत्र कालीचरन जाटव

गौरव पेट्रोल पम्प मालिक श्री राजे निवासी बामौर के साथ पुलिस थाना मौ में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि कल दिनांक 19/6/09 की रात करीब 10:00बजे की बात है वह अपने पेटोल पंप बंद कर रह थे तभी बंटा यादव निवासी लोहारपुरा मौ अपने हाथ में 20 लीटर की केन लिये तथा उसके साथ सौरम यादव निवासी मौ एवं दो अन्य अज्ञात साथी लडको के आये और बोलो कि टैक्टर ऐयर ले गयाहै हमें करीब 20 लीटर डीजल दे दो उसने कहाकि पंप बंद है तो वह बोला कि टैक्टर पर मरीज बैठा है उसे इलाज के लिये ग्वालियर ले जा रहे है फिर उसने जनरेटर चालू करके उसकी केन में 20 लीटर डीजल भर दिया फिर उसने उससे डीजल के 680 / - रूपये मांगे तो वह उससे बोले कि साले कमीन नही मालूम बंटी यादव कहते है हम फी डीजल लेते है तो उसने उसकी केन पकडकर रखने की कौशिश की तो बंटा एवं उसके साथी सौरभ यादव ने अपने अन्य दो साथियों के साथ लात-घूसों से उसकी मारपीट करने लगे वह चिल्लाया तो वह लोग डीजल भरी केन छोडकर एवं माउजर के कटटे से फायर कर बेहट तर को भाग गये एवं भागते समय जान से मारने की धौस दे गये कि अगर उसके खिलाफ थाने पर रिपोर्ट की तो देखेंगे । घटना को मौके पर मौजूद चौकीदार,जनक सिह यादव एवं उदय जाटव ने देखी है। घटना की जानकारी मोबाईल से पंप मालिक को बताई है।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मौ द्वारा अप0क0 126/09 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं जप्ती पंचनामा बनाया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294,327,336 तथा 506 बी—2 के आरोपो की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को भा0द0वि0 की घारा294,506बी में दोषमुक्त किया गया जाकर आरोपीगण को भा.द.वि.की घारा <u>327,336</u> के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न यह हैकि

1. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के पेटोल पम्प से 680/—रूपये का डीजल लेकर उस डीजल का मूल्य फरियादी को न देकर फरियादी को स्वेच्छा उपहति कारित की ? 2. क्या आरोपीगण ने माउजर कटटे से हवाई फायर कर मानव जीवन संकटापंन कारित किया ?

सकारण निष्कर्ष

- 8. प्रकरण में अभियोजन की ओर से दीपक आ0सा01, जनक सिंह आ0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।
- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृति से बचने हेत् दोनो विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है जिसके संबंध में दीपक आoसा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि 04,05साल पहले कुछ लोग पेटोल पम्प पर आये जिन्होने डीजल ले लिया और पैसे नहीं दिये उनके नाम नहीं मालूम डीजल कितना लिया नहीं बता सकता हूँ। उसी डीजल के पैसे की मांग पर से मारपीट नहीं हुई किसी भी पेटोल पम्प पर कटटे से फायर नहीं किया केवल गाली गलोंज किया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी जो प्र0पी01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 है जिसके एसेएँ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं कियाहैकि आरोपीगण ने फी में डीजल भरवा कर कटटे से उपेक्षापूर्ण हवाई फायर किया था। साक्षी के कथनो से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।
- 10. जनक सिंह आ0सा02 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है इस साक्षी का कहना हैकि दिनांक 19/06/09 को पेटोल पंप बंद कर बैठा था उसके पास दीपक बैठा था रात 10:00बजे की बात है दो अज्ञात लोग आये और डीजल मांगने लगे जब डीजल नहीं दिया तो गालियाँ देकर चले गये। इस संबंध में दीपक ने पुलिस थाना पर रिपोर्ट की थी। साक्षी ने घटित घटना व प्रथमसूचनारिपोर्ट का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करसाक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने डीजल लेकर उसके पैसे चुकाये बगैर लापरवाहीपूर्वक कटटे से हवाई फायर किया था । साक्षी के कथनों से प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 11. प्रकरण में दीपक आ0सा01,के द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कराई है। जनक सिंहआ0सा02 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है दोनो ही घटना के अतिमहत्वपूर्ण साक्षी है जिनके द्वारा घटित अपराध का

समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में फरियादी पक्ष व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी व साक्षी द्वारा न्यायालीन अभिलेख पर आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर कथन दिये है इसलिये घटित अपराध की साक्षियों के कथनों से पुष्टि नहीं होती है।

- 12. प्रकरण में घटित अपराध इस प्रकार का है जिसको प्रमाणित करने का भार प्रथम सूचना रिपोटकर्ता व चक्षुदर्शी साक्षियों पर है लेकिन प्रथम सूचना रिपोटकर्ता द्वारा ही घटित अपराध का समर्थन नहीं किया है ऐसी स्थिति में अन्य साक्षियों के कथनों से घटना की पुष्टि नहीं हो सकती है। न्यायालय में परीक्षित साक्षियों के कथनों से घटित घटना पूर्णत : अप्रमाणित पाई गई। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।
- 13. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध मा.द.वि.की धारा 327,336 के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। शेष अपराधों मे आपसी राजीनामा हो चुका है। अतः आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 327,336 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुलचके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
 - 14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 15. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप०रहे इस संबंध में धारा 437ए द०प्र०स० के तहत 10—10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता<u>० / सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद

हस्ता <u>/ सही</u> जे0एम0एफ0सी0गोहद

5 आपराधिक प्रकरण कमांक 818/2009